

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव ।

ई-मेल

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
सिवान ।

पटना, दिनांक

विषय: डा0 कौमुदी राज, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, महाराजगंज, सिवान
को अध्ययन करने हेतु विरमित करने के संबंध में ।

प्रसंग: आपके कार्यालय पत्रांक 1015 दिनांक 04.04.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से डा0 कौमुदी राज, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, महाराजगंज, सिवान, जिसे विभागीय पत्रांक 78(3) दिनांक 22.01.2026 से काशी हिन्दु विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित Fellowship Entrance Examination-2025 के काउंसलिंग/नामांकन में भाग लेने हेतु अनुमति के पश्चात आपके कार्यालय पत्रांक 950 दिनांक 26.03.2026 के द्वारा उक्त पाठ्यक्रम हेतु विरमित किया गया है, को उनके अनुरोध पर पुनः अपने पदस्थापन स्थल पर कार्य करने की अनुमति के संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है ।

02 विदित हो कि डा0 कौमुदी राज को विभागीय अनुमति के क्रम में आपके संस्थान द्वारा उन्हें अध्ययन हेतु विरमित तो किया गया है, परन्तु प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न डा0 कौमुदी के आवेदन के अवलोकनोपरान्त ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें उक्त संस्थान में आलोच्य पाठ्यक्रम हेतु नामांकन नहीं हो पाया है तथा न ही उनके द्वारा अद्यतन पदस्थापित स्थल से प्रभार त्याग किया गया है ।

03. अतः वर्णित स्थिति में डा0 कौमुदी राज द्वारा दिनांक 31.03.2026 से आपको समर्पित आवेदन के आलोक में परामर्शित है कि आपके कार्यालय पत्रांक 950 दिनांक 26.03.2026 से निर्गत विरमित आदेश को तत्काल स्थगित करते हुए डा0 कौमुदी राज को उनके मूल पदस्थापन स्थल पर कार्य करने हेतु निदेशित की जाए ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)

/स्वा0, पटना, दिनांक 28/4/26

ज्ञापांक :

270(3)

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमडल छपरा/अधीक्षक, सदर अस्पताल, सिवान/डा0 कौमुदी राज, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल महाराजगंज, सिवान ई-मेल dr.kaumudirj@gmail.com को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

JKamukar
सरकार के उप सचिव